न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी - सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या - 212 / 2024 सी.सी.एम.एस. नम्बर - 2024 / 522
दायर दिनांक - 23.12.2024 निर्णय दिनांक - 30.07.2025

01. सवाईलाल पुत्र रामूलाल जाति ढोली निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

01. अर्जुनराम पुत्र लखमाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
02. कादूराम पुत्र रूमाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
03. खुशालाराम पुत्र पूनाराम फौत हो कायम मुकाम
3/1 लीलाराम पुत्र खुशालाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3/2 इन्द्रा पत्नी खुशालाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
04. मदनाराम पुत्र पूनाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
05. मु. रामु पत्नी श्रीकिशन जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
06. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी, विरेन्द्रसिंह भाटी
अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 1034 रकबा 0.5908 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1043 रकबा 2.0315 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 1034 रकबा 0.5908 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1043 रकबा 2.0315 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 1034 रकबा 0.5908 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1043 रकबा 2.0315 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	सवाईलाल पुत्र राणूलाल जाति ढोली सा. देह खातेदार	बाप	1034 1043	0.2954 हैक्टेयर 1.0157 हैक्टेयर	बी–2
2	अर्जुनराम पुत्र उतमाराम, आदूराम पुत्र उतमाराम, खुशालाराम पुत्र पूनाराम, भवरूराम पुत्र पूनाराम 108 / 162, मु. रामु पत्नी श्रीकिशन 54 / 162 हिस्सा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	बाप	1034 1043	0.2954 हैक्टेयर 1.0158 हैक्टेयर	बी–2

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिक्री दिवानी बमुकदमे हुक्मनामा

(आर्डर 20 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत सहायक कलक्टर मुख्यालय बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखराम सिन्धल (आर.ए.एस.)

1 सवाईलाल पुत्र रामूलाल जाति ढोली निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण

बनाम

1 अर्जुनराम पुत्र उत्तमाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

2 आदूराम पुत्र उत्तमाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

3 खुशालाराम पुत्र पूनाराम फौत है बजरिये वारिसान

3/1 भीखाराम पुत्र खुशालाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

3/2 इन्द्रा पत्नी खुशालाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

4 मगाराम पुत्र पूनाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

5 मु. रामू पत्नी भीखाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

6 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 212/2024

यह मुकदमा आज सामने इस न्यायालय [illegible] मुकदमा सिन्धल पीठासीन अधिकारी के [illegible] पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि [illegible] राजेन्द्रसिंह [illegible] [illegible] ग्राम बाप [illegible] तहसील बाप के खसरा नम्बर 1134 रकबा 1.[illegible] डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम बाप [illegible] तहसील बाप के [illegible] खसरा नम्बर 1134 रकबा [illegible] हैक्टेयर भूमि व [illegible] प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव [illegible] हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1143 रकबा 2.[illegible] हैक्टेयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार बंटवारा को स्वीकार किया जाता है। उक्त बंटवारा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार [illegible] किया जाता है :—

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टेयर	हिस्सा
1	सवाईलाल पुत्र रामूलाल जाति ढोली सा. दह खातेदार	बाप	1134 1143	1.2[illegible] हैक्टेयर 1.[illegible] हैक्टेयर	[illegible]
2	अर्जुनराम पुत्र उत्तमाराम, आदूराम पुत्र उत्तमाराम, खुशालाराम पुत्र पूनाराम, मगाराम पुत्र पूनाराम 108/162, मु. रामू पत्नी भीखाराम 54/162 हिस्सा जाति मेघवाल सा. दह खातेदार	बाप	1134 1143	1.2[illegible] हैक्टेयर 1.[illegible] हैक्टेयर	[illegible]

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त बंटवारा भूमि के विभाजन को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग—अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम कर विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा ।

मुताबिक	बाबत	खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शरह
की तारीख	वसूल यावी तक	फीस सदी सालाना बाज का अदा करे

डिग्री मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.07.2025 को जारी की गई ।

सुखराम सिन्धल आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुद्दई	रकम	पैसे	मुद्दाअलेह	रकम	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प तलब सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशन		
फीस कमीशन			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के कॉलम में कुल खर्चा वह दर्ज [illegible] डिग्री से [illegible] दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे